राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -- 1676/2013/टोंक

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, टोंक। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स तंवर एन्टरप्राईजेज, टोंक । .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री वी.सी.सोगानी,
अधिकृत प्रतिनिधि । .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, टोंक (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपीलें उपायुक्त वाणिज्यिक कर,(अपील्स) अजमेर कैम्प–कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 29.01.2013 के विरूद्ध पेश की गयी है तथा जो अपील संख्या 28/वेट/2011–12/टोंक के संबंध में हैं एवम् जिनमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये पारित पृथक्–पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 19.12.2011 के जरिये अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति रू.13,600/– व अधिनियम की धारा 55 के तहत् ब्याज राशि रू.2,552/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2009–10 के निर्धारण आदेश दिनांक 19.12.2011 को पारित किया था, जिसमें चारों तिमाही विवरणियां देरी से प्रस्तुत करने पर, अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति रू.13,600/– व अधिनियम की धारा 55 के तहत् ब्याज राशि रू.2,552/– आरोपित कर, निधार्रण आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत् आरोपित शास्ति को विशिष्ट नोटिस जारी करने के अभाव

लगातार.....2

में अपास्त कर, अधिनियम की धारा 55 के तहत् निर्धारित ब्याज राशि को अपास्त कर, प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया । उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी है ।

बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान राजकीय उप अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, पारित अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया कि अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति आरोपित करने से पूर्व अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु कोई विशिष्ट अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 की अवहेलना है । अतः आरोपित शास्ति की राशियों न्यायोचित नहीं होने के कारण उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से आरोपित शास्ति को अपास्त कर, अपील स्वीकार की गयी है।

गुणावगुण पर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 51A के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर, जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(25) एफडी/टैक्स/11–169 दिनांक 30.03.2011, जारी की गयी थी जिसे पुनः अधिसूचना क्रमांक एफ.12(92)एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 के जरिये अतिष्ठित कर, अधिसूचित किया गया है कि जिन व्यवहारियों द्वारा समस्त विवरणियां वर्ष 2009–10 के लिये 30.09.2011 तक प्रस्तुत कर दी गयी है तथा समस्त देय कर राशि दिनांक 30.09.2011 तक जमा करवा दी गयी है, उन व्यवहारियों पर आरोपित शास्ति राशि व ब्याज राशि का अधित्यजन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है । अतः उक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(92)एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 के प्रकाश में दिनांक 30.09.2011 से पूर्व समस्त विवरणियां प्रस्तुत करने के कारण इस संबंध में आरोपित शास्ति रू.13,600/– राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 51A

लगातार.....3

के तहत् अधित्यजित कर दिये जाने के कारण अब वसूली योग्य होना नहीं रह गयी हैं। अतः उक्त तर्कों के आधार पर आरोपित शास्ति को अविधिक होने का कथन किया गया ।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 55 के तहत् निर्धारित ब्याज के संबंध में कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर रू. 8,488/– कम जमा नहीं करवाया गया है बल्कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वास्तविक रूप से चाहे गये आगत कर की भुजरा राशि रू. 25,278/– के स्थान पर केवल रू.16,530/– ही स्वीकार कर, शेष रू. 8,488/– को कम जमा होना अवधारित कर, रू. 2,552/– की ब्याज राशि कायम की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः उक्त चाही गयी आगत कर की भुजरा राशि का समयोजन दिये जाने की प्रार्थना कर, आरोपित ब्याज राशि को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में अपीलीय आदेश के अवलोकन व अध्ययन से विदित होता है कि एकतरफ तो अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पत्रावली भिजवाये जाने के अभाव में, ब्याज राशि को अपास्त कर, प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया हैं वही उसी अपीलीय आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष अवधारित किये गये हैं कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति आरोपण से पूर्व नोटिस जारी नहीं किया गया है । अपीलीय अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड/निर्धारण पत्रावली के अभाव में यह र अवधारित किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत् शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व नोटिस/विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया है ? उक्त तथ्य अपीलीय आदेश व अपील पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि उनके द्वारा चाही गयी आगत कर की भुजरा राशि को असत्यापित होना अवधारित कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की मांग राशि कायम कर, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ. 12(92)एफडी/टैक्स/2011–46 दिनांक 15.09.2011 के प्रकाश में दिनांक 30.09.2011 तक विवरिणयां प्रस्तत कर दी गयी थीं, का लाभ अपीलार्थी व्यवहारी को नहीं दिया गया, विशेषकर ऐसी स्थिति में, जब

लगातार.....4

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा असत्यापित आगत कर की मुजरा राशि के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः पारित अपीलीय आदेश अपास्त कर, प्रकरण, निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रत्यर्थी व्यवहारी को आगत कर के सत्यापन के संबंध में समुचित सुनवायी हेतु नोटिस जारी कर अवसर दिये जाने के पश्चात् ही आगत कर की मुजरा राशि का सत्यापन करें यदि प्रत्यर्थी व्यवहारी आगत की मुजरा राशि का सत्यापन करवाने में असफल रहते हैं तो निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि होगी अन्यथा स्थिति में, यदि आगत कर का इस हद तक सत्यापन हो जाता है जिससे विवरणियों के अनुसार कर देयता बकाया नहीं रहती है तो प्रत्यर्थी व्यवहारी को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 का लाभ दिये जाये । अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाकर, प्रकरण प्रकरण निर्धारण अधिकारी को उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

4-8-2014

(मदन लाल)

सदस्य